


आदेश

श्रीमती प्रियंका रैगर, नर्स श्रेणी द्वितीय जिन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमंद के पत्रांक प्र.चि.अ./स्थापना/2017/1138 दिनांक 31.03.2017 की पालना में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 03.04.2017 को 'अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा में' अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा (राजसमंद) में नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/505

दिनांक : 7.4.2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमंद को प्रेषित कर लेख हैं कि श्रीमती प्रियंका रैगर नर्स श्रेणी द्वितीय के विरुद्ध अनुपस्थिति प्रकरण एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के फलस्वरूप सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियमानुसार आरोप पत्रादि मय परिशिष्ट अ.ब.स.द मय दस्तावेजों (जो आरोपो को सिद्ध करते हों) के अविलम्ब भिजवायें।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नाथद्वारा (राजसमंद)।
7. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
8. श्रीमती प्रियंका रैगर, नर्स श्रेणी द्वितीय को आज दिनांक को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करें।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर